

11/6
24

पत्रावली पेशा वकील वादी उपर ।
प्रतिवादी वकील उपर । पत्रावली साक्ष्य
वादी में लम्बित है । पत्रावली का
समानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया
जाया । पत्रावली दिनांक 05.10.2015
से दर्ज है तथा दिनांक 20.09.2017 से
साक्ष्यवादी में लम्बित चल रही है
वादी कार. व. व. व. व. पेशा व. व. व. व.
समय बराबर 30% चाहते हैं 7 वर्षों में
लेख भी जवाह के अर्थ न्यायालय में नहीं
हुवा पाये जिससे स्पष्ट हो कि वकील वादी
व वादी लम्बित प्रकरण को लेकर गंभीर
रही है तथा अनावश्यक अदालत कर
समय जाया कर रहे हैं साथ ही
दस्तावेज प्रकरण अज्ञानि द्वारा 188

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

राजस्थान अध्यापिका अधिनियम में दर्ज
 होकर व्यापारिक ले अर्पण आराजी में
 परिवारी के दखलेंदाजी को रोक्के की
 इतरतुआ चाही गई है वादी वादग्रस्त
 आराजी कुल खातेदार इतरतुआ हैं तथा
 खातेदार के सम्पूर्ण अधिकार दखलेंदा
 जिसमें वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा
 भी शामिल है अतः वादी को चाही गई
 इतरतुआ पूर्व से ही प्राप्त खातेदारों
 आदि कारों के साथ प्राप्त हो चुकी है तथा
 इतरतुआ ५३५ ले अथ कोई इतरतुआ
 नहीं दी जा सकती अतः ५३५ लाकीन
 होने पर वादी व वादीरथय ५३५ को
 लेकर गंभीर नहीं होने के कारण अदक
 इतरतुआ अदक परवा में इतरतुआ
 आराजी की जाती है (पत्रावली अदक
 अदक होकर दर्ज नम्बर से उतर
 की जाकर दायकिल दफ्तर हो)



